



Neutral Citation No - 2026:AHC:24453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4181

सीमान्त कुमार वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशीष कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, नौतनवा, तहसील नौतनवा, जिला महाराजगंज को यह निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के अन्तर्गत नामान्तरण वाद संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



T202405470301766 (सीमान्त कुमार वर्मा बनाम ओबैदुल्लाह) को विहित अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऐसे आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उपनियम (7) निम्नानुसार है:-

"(7). तहसीलदार अविवादित नामान्तरण के मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर तथा विवादित नामान्तरण के मामले को 90 दिन की अवधि के भीतर विनिर्णीत करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलिखित किए जाएंगे।"

5. आगे तर्क है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही व्यतीत हो चुकी है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, नौतनवा, तहसील नौतनवा, जिला महराजगंज उपर्युक्त वाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"